# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

## बईजलास श्रीमती सीमा तिवाड़ी (RAS) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 18/2019 दायर तारीख 04/04/2019

अनवान

कजोड़ पिता माधु जाति नाई उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

........ वादी

बनाम

01. कन्हैयालाल पिता गोपीलाल जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. गोपाल पिता गोपीलाल जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. सुमित्रा पिता गोपीलाल पत्नि मोहनलाल जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. फोरी पिता गोपीलाल पत्नि कन्हैयालाल जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां हाल मुकाम जाडोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. सन्तोष पिता गोपीलाल पत्नि तुलसीराम जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां हाल मुकाम बावडी खेड़ा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)
06. देवकन्या पत्नि स्व0 गोपीलाल जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0) (नाम हटाया)
07. बदाम पुत्री गोरधन जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
08. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।

........ प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ अधिवक्ता वादी

### वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

### –: निर्णय :– दिनांक :– 29/12/2021

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई दिनांक 16/07/2019 को प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी हुयी कि ग्राम तिलस्वां स्थित आराजी नम्बर 130 रकबा 0–02 बीघा, आराजी नम्बर 131 रकबा 1–13 बीघा, आराजी नम्बर 132 रकबा 1–09 बीघा, आराजी नम्बर 133 रकबा 2–13 बीघा कुल किता 4 रकबा 5–17 बीघा भूमि में से वादी का 3/5 हिस्से का बाई मिट्स एवं बाउण्डस के आधार पर जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार वादीगण के बनने वाले हिस्से की भूमि के विभाजन किये जाने के आदेश पारित किये गये। आदेश की पालना में तहसीलदार बिजौलियां ने उनके पत्रांक/राजस्व/2020/279 दिनांक 02.03.2019 को प्राथमिक डिक्री के प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय को प्रस्तुत किये हैं। प्राप्त प्रस्ताव पर वकील वादी ने सहमति व्यक्त की हैं।

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत **धारा 53–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री** किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदार के नाम राजस्व अभिलेखो में पृथक रूप से अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि -भीलवाड़ा

| क्र. सं. | खातेदार का नाम | ग्राम | आराजी नम्बर | रकबा | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | कन्हैयालाल गोपाल सुमित्रा फोरी सन्तोष पिता गोपी देवकन्या पत्नि स्व. गोपी सीताराम पिता गोरधन सरदारी पत्नि स्व. गोरधन अहीर सा. देह खातेदार | तिलस्वां | 133 | 2–06 | – | 8.92 |
| | **योग** | | **किता 1** | **2–06** | – | 8.92 |
| 02 | कजोड़ पिता माधु नाई सा. देह खातेदार रहन ब. राज. ग्रा. बैंक शाखा कास्यां कलां | तिलस्वां | 131<br>132<br>133/1 | 1–13<br>1–09<br>0–07 | –<br>–<br>– | 4.68<br>6.11<br>2.58 |
| | | | **किता 3** | **3–09** | – | **13.37** |
| 03 | शामिल खाता बदस्तुर जमाबन्दी खातेदार रहन– बदस्तुर | तिलस्वां | 130 | 0–02 | – | – |
| | | | **किता 1** | **0–02** | – | – |

उक्तानुसार **अन्तिम डिक्री** जारी की जाती है। वकील वादी निर्धारित नॉन ज्युडिशीयल स्टाम्प प्रस्तुत करें तब डिक्री मूर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना – अपना वहन करें।

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 29/12/2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि.-भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि.-भीलवाड़ा

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 22/12/21 | पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी उपस्थित। वकीलवादी नें प्रतिवादी सं. 6 का फौत हो जाने से उसका नाम डिलिट करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जो स्वीकार किया जाता है। अत: प्रतिवादी सं. 6 का नाम डिलिट करने हेतु लाल स्याही से अंकन किया जाता है। वकीलवादी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 29.12.21 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जि.-भीलवाड़ा | |
| 29/12/21 | पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी उपस्थित। पत्रावली मे पूर्व मे बहस सुनी हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अत: वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 स्वीकार किया जाता है। निर्णय व डिक्री पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जि.-भीलवाड़ा | |